विविध **बैंक प्रकरण संख्या 73/2020(GCMS : 2021/199) पंजाब नेशनल बैंक,** जरिये प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबंधक श्री निशान्त खुराना, कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक श्रीगंगानगर (राज.) **बनाम 1.मैसर्स अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज, जरिये प्रोपराईटर वीनू गेरा पत्नी जगदीश गेरा निवासी एफ–227 बी, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–1, रिको, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर (राज.)**

11.05.2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री मंगतराम ने निवेदन किया कि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैक ने अप्रार्थी मैसर्स अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज –प्रो. वीनू गेरा द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उसके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई इंडस्ट्रीयल सम्पत्ति प्लॉट नं. एफ –227 का भाग (एफ–227–बी) फेस–1, (क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर) इंडस्ट्रीयल एरिया, रिको, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.11.2021 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणी के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 10.11.2021 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थी मैसर्स अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज –प्रो. वीनू गेरा के विरूद्ध पेश कर, ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी मैसर्स अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज –प्रो. वीनू गेरा द्वारा बंधक रखी गई इंडस्ट्रीयल सम्पत्ति प्लॉट नं. एफ –227 का भाग (एफ–227–बी) फेस–1, (क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर) इंडस्ट्रीयल एरिया, रिको, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Piar
Date: 2022.06.01 13:24:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का प्रार्थना पत्र भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में शामिल किया गया। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:29 IST
Reason: SelfAttested